न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री हनुमान सहाय मीना, आई.ए.एस.

अपील संख्या : 54/2012 शस्त्र अधिनियम्

अनवानी :– अजायबसिंह पुत्र श्री गिन्दरसिंह जाति सिख निवासी जगतसिंह वाला पुलिस थाना मुकलावा तहसील श्री रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

------ **अपीलान्ट**

-- बनाम --

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये लोक अभियोजक ।

------ **रेस्पोडेन्ट**

उपस्थित :– श्री बृजेश मदान — अभिभाषक अपीलांट

श्री शरद ओझा — सहायक लोक अभियोजक, राज्य पक्ष की ओर से।

निर्णय

दिनांक : 11.12.2019

1. यह अपील शस्त्र अधिनियम,1959 की धारा 18 के अन्तर्गत अति. जिला मजिस्ट्रेट, (प्रशासन), श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 12.07.2012, जिसमें अपीलांट का शस्त्र अनुज्ञा पत्र सं. 10/85 डीएम श्रीगंगानगर को निलम्बित किया गया, के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत हुई है।

2. अपील में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट के नाम से शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 10/85 डीएम श्रीगंगानगर बना है, जो दिनांक 10.05.2010 तक नवीनीकृत है। उक्त लाईसेंस को आगामी अवधि के लिये नवीनीकरण करने हेतु अपीलांट ने जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया, जिस पर जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर से रिपोर्ट ली गई। जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर की रिपोर्ट क्रमांक 727 दिनांक 16.7.10 के अनुसार अपीलांट के विरूद्ध आपराधिक मुकदमा सं. 58/09 अन्तर्गत धारा 406, 420 आईपीसी में जेरतफ्तीश होना बताते हुए उक्त अनुज्ञा पत्र का नवीनीकरण नहीं करने की अनुशंषा की गई, जिसका आधार लेते हुए अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.07.2012 के द्वारा अपीलांट का उक्त शस्त्र अनुज्ञा पत्र मुकदमा के निस्तारण होने तक निलम्बित किया गया, जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

Reader-I

3. प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट एवं राज्य पक्ष की ओर से उपस्थित सहायक लोक अभियोजक की बहस सुनी गयी ।
4. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपनी लिखित बहस में मुख्य रूप से कथन किया है कि अपीलांट के विरूद्ध दर्ज मुकदमा अन्तर्गत धारा 406, 420 आईपीसी का प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन था, ना कि अपीलांट को उक्त प्रकरण में दोषसिद्ध किया गया था। अपीलांट के विरूद्ध धारा 420, 406 आईपीसी के अलावा अन्य कोई प्रकरण आर्म्स एक्ट से संबंधित नहीं है और ना ही अपीलांट आदतन अपराधी है और ना ही स्टेट की ओर से अपराधी होने तथा अन्य फौजदारी प्रकरण में सजा होने के कथन किये हैं। अपीलांट को मात्र कयाश के आधार पर दोषी करार दिया जाकर अपीलांट का शस्त्र अनुज्ञा पत्र निरस्त/निलम्बित नहीं किया जा सकता। अपीलांट ने आत्मरक्षा हेतु शस्त्र लाईसेंस प्राप्त किया है, ना कि शस्त्र का दुरूपयोग करने के लिये । अपीलांट ने शस्त्र का दुरूपयोग किया हो, ऐसा कोई बहस स्टेट की ओर से नहीं की गई। उपरोक्त तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.07.2017 निरस्त कर अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे।
5. प्रकरण में राज्य पक्ष की ओर उपस्थित सहायक लोक अभियोजक ने कथन किया है कि जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर की रिपोर्ट दिनांक 16.7.10 में अपीलांट के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण मुकदमा सं. 58/09 अन्तर्गत धारा 406, 420 आईपीसी में दर्ज हुआ है, और इसी के आधार पर अपीलांट का शस्त्र अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण नहीं करने की अनुशंषा की है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.7.12 के द्वारा अपीलांट का शस्त्र अनुज्ञा पत्र उक्त मुकदमा के निर्णय होने तक की अवधि के लिये निलम्बित किया है, जो सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था के मध्यनजर उचित है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे ।
6. हमने उभय पक्ष की बहस को मध्यनजर रखते हुए उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रकरण अनुसार अपीलान्ट का शस्त्र अनुज्ञा पत्र सं. 10/85 डीएम श्रीगंगानगर को आगामी अवधि के लिये प्रस्तुत अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र पर पुलिस रिपोर्ट ली गई। जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर की रिपोर्ट के अनुसार अपीलांट के विरूद्ध मुकदमा सं. 58/09 अन्तर्गत धारा 406, 420 आईपीसी न्यायालय में लम्बित रहने के कारण आगामी अवधि के लिये लाईसेंस नवीनीकरण नहीं करने की अनुशंषा की गई है। विरूद्ध अभिभाषक अपीलांट ने भी इस तथ्य को स्वीकार किया है। सहायक लोक अभियोजक ने राज्य पक्ष की ओर से बहस करते हुए इसी तथ्य पर कथन

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

किया है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीधीन आदेश से अपीलांट के उक्त शस्त्र अनुज्ञा पत्र को केवल मुकदमा के निर्णय होने तक निलम्बित किया है, निरस्त नहीं किया है। निलम्बन को सजा नहीं माना जा सकता। व्यापक लोक शांति, सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था के मध्यनजर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन आदेश से हम सहमत हैं। इसके अतिरिक्त विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने कोई साक्ष्य या सबूत आदि पेश नहीं किये हैं, जिन पर गौर किया जा सके। इस प्रकार अपील अपीलांट सारहीन तथ्यों पर प्रस्तुत की गई है।

7. अतः अति.जिला मजिस्ट्रेट(प्रशा.), श्रीगंगानगर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.07.2012 यथावत रखा जाकर अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

8. अतः उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में यह अपील अपीलान्ट तद्नुसार निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय के रिकॉर्ड वापिस लौटाया जाकर पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 11.12.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हनुमान सहाय मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर

Reader-I

Signature Not Verified

Digitally signed by Hanuman Sahai Meena
Date: 2019.12.18 13:03:21 IST
Reason: SelfAttested
Location: